रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269611
CG-DL-E-28012026-269611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947
No. 361]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2026

का.आ. 389(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा वर्णित कतिपय परियोजनाओं के प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) अनिवार्य करने के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) जारी की थी;

और जबकि, सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र ईआईए अधिसूचना 2006 की मद 7(ज) के अधीन आते हैं और इनके लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। केंद्रीय सरकार को सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र को पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी की अपेक्षा से छूट देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

और जबकि, हाल के वर्षों में विभिन्न औद्योगिक समूहों में, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, पेंट्स, रासायनिक उर्वरक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वस्त्र और संबद्ध उद्योगों जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्रों, जो पहले सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों पर अत्यधिक निर्भर थे, ने बढ़ती हुई कठोर पर्यावरणीय अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अपनी अवसंरचना को उत्तरोत्तर उन्नत किया है। ऐसे प्रौद्योगिकी सुधारों ने उद्योगों को अपने अपशिष्टों का प्रबंधन कहीं अधिक सटीकता, परिचालन दक्षता और जवाबदेही के साथ करने में सक्षम बनाया है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में इस आमूलचूल परिवर्तन और आधुनिक तकनीक के आगमन ने औद्योगिक अपशिष्ट के बेहतर निपटान के रास्ते खोल दिए हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर बेहतर स्व-अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र एक समाधान के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा,

सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र एक ओर औद्योगिक अपशिष्टों के निपटान के लिए एक लागत प्रभावी सुविधा के रूप में कार्य करते हैं और दूसरी ओर, प्रदूषण नियंत्रण में बेहतर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते हुए आत्म-अनुशासन की भावना का संचार करते हैं। इस प्रकार, सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करके और कई स्थानों पर फैली हुई निगरानी के विपरीत केंन्द्रीकृत निगरानी सुनिश्चित करके बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है;

और जबकि, कई क्षेत्रों में शून्य द्रव उत्सर्जन प्रणालियों को अपनाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अलावा, शून्य द्रव उत्सर्जन प्रणालियां यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी अशोधित या आंशिक रूप से शोधित अपशिष्ट जल पर्यावरण में न छोड़ा जाए। इसके बजाय, संपूर्ण अपशिष्ट जल धारा का व्यापक शोधन किया जाता है, और शोधित जल का पुनर्चक्रण करके औद्योगिक कार्यों में पुनः उपयोग किया जाता है। इस पद्धति से न केवल मूल्यवान मीठे जल संसाधनों का संरक्षण होता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण के जोखिम को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है;

और जबकि, ये प्रगति पहले से ही एक मज़बूत नियामक निरीक्षण ढाँचे द्वारा पूरित हैं। औद्योगिक इकाइयाँ और उनकी उपचार सुविधाएँ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों द्वारा लागू की जाती हैं। इन क़ानूनों के अधीन नियामक व्यवस्था सख्त और व्यापक दोनों है, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित निगरानी, आवधिक निरीक्षण और अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ शामिल हैं। ये तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि उद्योगों को उनके उत्सर्जन और शोधन के लिए लगातार जवाबदेह ठहराया जाए, जिससे निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों का उच्च स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित हो सके;

और जबकि, इस मामले की परीक्षा क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की गई थी, जिसने सिफारिश की थी कि प्राप्त तकनीकी प्रगति, मौजूद सुदृढ़ अनुपालन तंत्र और स्थायी जल प्रबंधन प्रक्रियाओं की ओर स्पष्ट बदलाव के आलोक में, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को उक्त अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा से छूट देने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि निर्माण और संचालन के दौरान कुछ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अधीन स्थापना या संचालन की सहमति के माध्यम से प्रवर्तित किया जाए;

और जबकि, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को जांच के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति को भेजा गया था। उचित विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश से सहमति व्यक्त की और यह भी नोट किया कि केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 6250(अ) तारीख 19 दिसंबर 2018 के अधीन पहले ही उक्त अधिसूचना में संशोधन कर दिया था ताकि उन परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए या उनके भीतर स्थापित सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी से छूट दी जा सके, जिनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, और वर्तमान में केवल उन गतिविधियों के लिए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो पहले से ही पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया द्वारा शासित हैं। समुचित विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ सलाहकार समिति इस विचार पर पहुंची कि सभी सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र को छूट दी जा सकती है, बशर्ते क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए;

और जबकि, और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय सरकार का विचार है कि सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को उक्त अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन किया जाए;

और जबकि उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4506(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें जनसाधारण को उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और साठ दिनों की अवधि के भीतर उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना" शीर्षक के अधीन, मद 7(ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आईए 3-22/17/2025-आईए.III]

डॉ. अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ.1223(अ), तारीख 17 मार्च, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2026

S.O. 389(E).— WHEREAS the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior Environmental Clearance for certain category of projects;

AND WHEREAS Common Effluent Treatment Plants are covered under item 7(h) of the EIA Notification, 2006 and require prior Environmental Clearance. The Central Government has received representations for exemption of Common Effluent Treatment Plants from the requirement of prior Environmental Clearance;

AND WHEREAS in recent years a substantial transformation has taken place across various industrial clusters, particularly in sectors such as pharmaceuticals, paints, chemical fertilizers, electroplating, textiles and allied industries. These sectors, which were earlier heavily dependent on Common Effluent Treatment Plants, have progressively upgraded their infrastructure in order to comply with increasingly stringent environmental requirements. Such technological improvements have enabled industries to manage their effluents with far greater precision, operational efficiency and accountability. This paradigm shift in effluent management practices and advent of modern technology has opened avenues for better treatment of industrial wastes. Common Effluent Treatment Plants have emerged as a solution to ensuring better self compliance on the principles of collective responsibility. Moreover, the Common Effluent Treatment Plants also serve as a cost-effective facility for treatment of industrial waste on one hand and infuse a sense of self discipline on the other, offering better checks and balances in pollution abatement. Thus, establishment of Common Effluent Treatment Plants need to be encouraged for ensuring better compliance by enforcing collective accountability and ensuring effective monitoring at one place instead of diffused monitoring at multiple locations;

AND WHEREAS a growing trend towards the adoption of Zero Liquid Discharge systems has been observed across several sectors. Further, Zero Liquid Discharge systems ensure that no untreated or partially treated wastewater is released into the environment. Instead, the entire effluent stream undergoes comprehensive treatment, and the treated water is recycled and reused within industrial operations. This practice not only conserves valuable freshwater resources but also minimizes the risk of environmental pollution;

AND WHEREAS these advancements are complemented by an already robust regulatory oversight framework. Industrial units and their treatment facilities are governed by the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981). The regulatory regime under these statutes is both stringent and comprehensive with regular monitoring, periodic inspections and mandatory reporting requirements imposed by the State Pollution Control Boards and the Central Pollution Control Board. These mechanisms ensure that industries are consistently held accountable for their emissions and discharges, thereby maintaining high levels of compliance with prescribed environmental norms;

AND WHEREAS the matter was examined by the sectoral Expert Appraisal Committee which has recommended that, in light of the technological advancements achieved, the robust compliance mechanisms in place and the demonstrable shift towards sustainable water management practices, Common Effluent Treatment Plants may be considered for exemption from the requirement of prior Environmental Clearance under the said notification, subject to certain environmental safeguards to be followed during construction and operation and to be enforced by State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees through consent to establish or consent to operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;

AND WHEREAS the recommendations of Expert Appraisal Committee were referred to the Expert Advisory Committee for examination. After due deliberation the Expert Advisory Committee agreed with the recommendation of the concerned Expert Appraisal Committee and also noted that the Central Government vide notification number S. O. 6250 (E), dated the 19th December, 2018 had already amended the said notification to exempt Environmental Clearance for Common Effluent Treatment Plants setup for or within projects or activities which do not require environmental clearance, and currently the Common Effluent Treatment Plants for activities which are already governed by the Environmental Clearance process only require Environmental Clearance. After due deliberation the Expert Advisory Committee was of the considered view that all Common Effluent Treatment Plants may be exempted subject to environmental safeguards to be implemented as recommended by the sectoral Expert Appraisal Committee;

AND WHEREAS based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee, the Central Government is of the view that Common Effluent Treatment Plants may be exempted from the requirement of prior Environmental Clearance under the said notification, subject to implementation of environmental safeguards to be enforced by State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee through the consent mechanism;

AND WHEREAS a draft notification for making amendments in the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4506 (E), dated the1st October, 2025, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public and the objections and suggestions received in response to the said draft notification within the period of sixty days have been duly considered by the Central Government.

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in the Schedule, under heading, "Physical Infrastructure including Environmental Services", item 7(h) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. IA3-22/17/2025-IA.III]

Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.28 15:21:57 +05'30'